Faridabad Plot Built Properties in all Sectors
SYNDICATE ESTATE AGENCY
Ind. Plot no. 11, Sector-15A, Faridabad.
Ph. : (o) 2284588
(R) : 2224288
Spl. In - Residential, Commercial & Industrial

मेहनतकशों का पैग़ाम — मेहनतकशों के नाम
Email : mazdoormorcha@yahoo.co.in

मज़दूर मोर्चा

पाक्षिक
नेट पर उपलब्ध :
www.mazdoormorcha.com
Postal Reg. No. L/H.R/FBD/463-06/R.N.I. No. 66400/97

ANCHOR ROADLINES
(Regd) SCO - 29, Shoping Centre, Sec. - 11D, FBD.
Daily Parcel Service
For : Noida, Surajpur, Kasna, Ghaziabad, Haridawar, Gurgaon, Manesar, Dharuhera, Bhiwadi, Vice Varsa
24, Hours Service
Phones : 2285044, 2291388

वर्ष 23 | अंक 7 | मंगलवार, फरीदाबाद, 16-28 फरवरी, 2010 | फोन : - 9999595632 | सहयोग राशि 1 रुपया

भ्रष्टाचार को और बढ़ाने के लिए

निर्मल यादव को नैनीताल हाईकोर्ट में शपथ दिलाई

15 लाख वाला मुकदमा अभी बकाया

नई दिल्ली, चंडीगढ़ (म.मो.) 15 लाख रुपए की रिश्वतखोरी के मामले में पिछले करीब डेढ़ साल से निलंबित पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट की जज निर्मल यादव को दिनांक 12.2.10 को नैनीताल हाईकोर्ट की जज के तौर पर शपथ ग्रहण करा दी गई है। शपथ वहां के मुख्य न्यायाधीश जेएस खेहर ने दिलाई। यादव की नियुक्ति से वहां के जजों की संख्या 9 हो गई है।

सर्वविदित है कि दिनांक 13.8.08 को, हरियाणा सरकार के सरकारी वकील (एडिशनल एडवोकेट जनरल) संजीव बंसल के मुंशी द्वारा 15 लाख रुपयों से इस बंडल को जब उनके चपरासी अमरीक सिंह ने खोलकर उन्हें बताया तो वहां हडकंप मच गया और तुरंत पुलिस को सूचित किया गया। मौके पर पहुंची पुलिस ने नोटों के बंडल को कब्ज़े में लेते हुए तीव्र गति से तफ़्तीश शुरू कर दी। शीघ्र ही बंडल पहुंचाने वाले मुंशी प्रकाश राम को गिरफ़्तार कर लिया। उसके बयान पर पुलिस संजीव बंसल व उसकी पत्नी रेनू बंसल तक पहुंची। इन्होंने गिरफ़्तारी से बचने के लिए अग्रिम जमानत याचिका डाली जिसे हाईकोर्ट बार के जबरदस्त विरोध के चलते नामंजूर कर दिया गया।

जानकारों का मानना है कि चंडीगढ़ पुलिस द्वारा बहुत ही बेहतरीन ढंग से की जा रही तफ़्तीश को सीबीआई के हवाले करने के लिए तत्कालीन मुख्य न्यायाधीश ने इसलिए गवर्नर से सिफ़ारिश की थी कि वहां से शायद निर्मल यादव को कुछ राहत मिल सके।

पुलिस तफ़्तीश, जो शुरुआत में चंडीगढ़ पुलिस और 27.8.08 के बाद सीबीआई द्वारा की गई, में स्पष्ट हो गया कि रविन्द्र सिंह का दिल्ली के राजेन्द्र नगर में रिज व्यू के नाम से एक होटल है जो निर्मल यादव का उस वक्त से परिचित था जब वह हाईकोर्ट में रजिस्ट्रार जनरल थीं। यादव से रविन्द्र की मुलाकात भी संजीव बंसल ने ही कराई थी। लेकिन जज बनने के बाद मुलाकात का यह रिश्ता और भी गहरा होता चला गया। तफ़्तीश में पाया गया कि एक तय सौदे के अनुसार रविन्द्र ने यादव को 15 लाख रुपए 13.8.08 को पहुंचाने थे। उधर बंसल ने भी उसी दिन सुप्रीम कोर्ट (दिल्ली) में पेश होना था। सुप्रीम कोर्ट से निपटकर रविन्द्र से यह रकम लेने बंसल उसके होटल रिज व्यू में बाद दोपहर पहुंच गया। लंच वहीं पर किया और 15 लाख की रकम लेकर शाम को बंसल चंडीगढ़ के लिए रवाना हो गया। उधर निर्मल यादव उक्त रकम प्राप्त करने को कुछ ज़्यादा ही बेचैन थी क्योंकि 14.8.08 को सुबह उन्हें करीब 30 लाख की अदायगी उस भूमि विक्रेता को करनी थी जिससे उन्होंने हिमाचल प्रदेश के सोलन ज़िले में करीब 11.1 बीघे ज़मीन की रजिस्ट्री करानी थी।

इसलिए यादव ने उसी दिन शाम को 5 बजकर 54 मिनट पर रविन्द्र को फ़ोन करके पूछा कि रकम का क्या हुआ? इसके तुरंत बाद रविन्द्र ने संजीव बंसल को फ़ोन लगाया जो लगा नहीं तो 5.55 पर उसने संजीव की पत्नी रेनू को फ़ोन लगा कर कहा कि वह संजीव से उसकी बात कराए। जब संजीव ने रविन्द्र से बात की तो उसने कहा कि वह शीघ्रातिशीघ्र रकम निर्मल यादव को पहुंचा दे जबकि संजीव रकम लिए हुए अभी चंडीगढ़ के रास्ते में ही था।

शेष पेज 2 पर

उत्सव ने राठौर पर नहीं, व्यवस्था पर की है चोट

रुचिका को न्याय देने के नाम पर गत बीसियों बरस से चल रहे नाटक को करीब से देखने के लिए उत्सव शर्मा अहमदाबाद से चल कर चंडीगढ़ आया था। वह वाराणसी के एक संपन्न एवं सुशिक्षित परिवार का होनहार युवक होने के अलावा अत्यंत संवेदनशील भी था। जिस समाज में लोग अपने विरुद्ध हो रहे अन्याय से लड़ने से घबराते हों, उसी समाज में वह दूसरों के लिए जान जोखिम में डालने वाला युवक साबित हुआ। रुचिका की हत्या तथा उसके परिवार को 19 साल तक तबाह कर देने वाले हरियाणा के उच्चतम पुलिस अधिकारी शंभु प्रताप सिंह राठौर को न्यायपालिका ने जब केवल छ: माह की सज़ा सुनाई तो आम जनता में भारी आक्रोश का भाव उभर कर आया। यह आक्रोश इतना प्रबल था कि हरियाणा के अब तक के सभी मुख्यमंत्रियों, गृह मंत्रियों तथा संबंधित अफ़सरों को अपनी-अपनी सफ़ाइयां देने के लिए सामने आना पड़ा। और तो और, केंद्रीय गृह मंत्री पी.चिदंबरम तक को रुचिका के परिवार वालों से मुलाकात करनी पड़ी तथा उन्हें शीघ्र ही उचित न्याय दिलाने का आश्वासन देना पड़ा। लेकिन इस सबके बावजूद पिछले दो माह में होता कुछ नज़र नहीं आया तो उत्सव की संवेदना विस्फोटक हो गयी। जो युवक पिछले लगभग एक माह से न्यायपालिका एवं व्यवस्था के इस नाटक को बहुत करीब से देख रहा था, और अधिक न देख सका एवं भड़क गया। उसने सीधे राठौर पर वार कर दिया। लोगों ने उसके जज़्बात को समझने की बजाये उसे पागल करार दे दिया। ऐसा ही कुछ पागलपन भगत सिंह एवं उनके साथियों में भी था जिन्होंने असेम्बली हॉल में बम फेंका था। जिस तरह से बम धमाका व्यवस्था के विरुद्ध एक सांकेतिक हमला था, ठीक उसी तरह उत्सव का यह पागलपन भी न्याय के नाम पर चलने वाली इस नाटक कंपनी के विरुद्ध एक सांकेतिक हमला है। न्यायपालिका एवं व्यवस्था के रखवाले उत्सव को सज़ा देने की अपेक्षा दीवार पर लिखी इस इबारत को जितना जल्दी समझ लेंगे, उतना ही उनके लिए बेहतर होगा।

पिछले दो माह में होता कुछ नज़र नहीं आया तो उत्सव की संवेदना विस्फोटक हो गयी। जो युवक पिछले लगभग एक माह से न्यायपालिका एवं व्यवस्था के इस नाटक को बहुत करीब से देख रहा था, और अधिक न देख सका एवं भड़क गया। उसने सीधे राठौर पर वार कर दिया।

-विशेष प्रतिनिधि

नक्सलवाद : रास्ता किधर है?

■ मनोज कुमार झा

नक्सलवादी चुनौती से जूझ रही सरकार को नक्सलवादियों के दमन में सफलता नहीं मिल रही है, जबकि इसके लिए विशिष्ट अर्धसैन्य बलों को नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में लगाया जा चुका है। सरकार ने नक्सलवाद को देश की आंतरिक सुरक्षा के लिए सबसे ख़तरनाक बताया है। नक्सलवाद से कैसे निबटा जाये, यह बात भी अभी सरकार की समझ से बाहर है। एक तरफ, वह उसे सिर्फ कानून और व्यवस्था का मामला न मानते हुए सामाजिक-आर्थिक विसंगतियों को इसके लिए जिम्मेवार मानती है, दूसरी तरफ, सामाजिक-आर्थिक विसंगतियों को दूर कर पाने में पूरी तरह अक्षम होने के कारण वह दमन का सहारा लेती है। पर सरकारी दमन और आतंक से जूझते हुए नक्सलवादी अपना प्रभाव क्षेत्र लगातार बढ़ाते चले जा रहे हैं। हालांकि नक्सलवादी संगठन के बड़े-बड़े नेताओं को गिरफ़्तार कर लेने में सरकार को आंशिक सफलता मिली है, पर सरकारी तंत्र पर नक्सलवादियों के हमले लगातार जारी हैं। नक्सलवादी चुनौती को कैसे झेला जाये, कैसे नक्सलवाद को कुचल दिया जाये, यह सवाल सत्ताधारी गठबंधन के अलावा विरोधी दलों के नेताओं को भी परेशान कर रहा है। केंद्र सरकार नक्सलवाद पर नियंत्रण के लिए साल में दो-तीन उच्च स्तरीय बैठकें करती है और नक्सलवादियों की धर-पकड़ के लिए, उनके दमन के लिए एक से बढ़ कर एक उपाय करती है, पर हालत यह है कि 'मर्ज़ बढ़ता ही गया, ज्यों-ज्यों दवा की।' फ़िलहाल, केंद्र सरकार की पहल पर कोलकाता में नक्सलवाद का सफाया करने के उपायों पर केंद्रीय गृह मंत्री की अध्यक्षता में एक बैठक हुई जिसमें नक्सलवाद से बुरी तरह प्रभावित राज्यों के मुख्यमंत्रियों को बुलाया गया था जिसमें भाग लेने के लिये बुद्धदेव भट्टाचार्य और उड़ीसा के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक के अलावा किसी को फुर्सत नहीं थी। इस बैठक में चाहे जैसे भी हो, नक्सलवाद के दमन का संकल्प किया गया। साथ ही, सरकार ने नक्सलवादियों के समक्ष वार्ता का विकल्प भी सामने रखा। इसके लिए शर्त यह रखी कि नक्सलवादी हिंसा का रास्ता छोड़ दें। इधर, नक्सलवादी संगठनों ने कई जगहों पर विस्फोट कर सरकार को इसका जवाब दिया। देश में मुख्य रूप से एक ही नक्सली संगठन भारत की कम्युनिस्ट पार्टी (माओवादी) का बोलबाला है।

यह सच है कि माओवादियों ने सदियों से दबे-कुचले आदिवासियों और गरीब किसानों के हक के लिए संघर्ष किया है और उन्हें जुझारू बनाया है, पर कोई भी समझौता करते हुये उन्हें 'शासन की बंदूक' पर बराबर नज़र रखनी होगी।

इस संगठन के अधिकांश बड़े नेता सरकार की गिरफ़्त में हैं। यह संगठन काफ़ी ताकतवर है और धीरे-धीरे इसका प्रभाव क्षेत्र बढ़ता ही जा रहा है। सरकार ने इस संगठन को प्रतिबंधित घोषित कर रखा है। जाहिर है, वार्ता करने के पहले सरकार को इस पर से प्रतिबंध हटाना पड़ेगा। इधर, उपरोक्त संगठन के नेताओं ने कहा है कि वे वार्ता के लिए तभी तैयार हो सकते हैं जब उनके नेताओं को जेलों से छोड़ा जाये। क्या सरकार ऐसा करेगी? और क्या माओवादी हिंसा का अपना रास्ता छोड़ेंगे? अगर वे हिंसा का रास्ता छोड़ते हैं तो फ़िर कौन-सा रास्ता अपनायेंगे? अब तक उनकी जो पहचान बनी है, उसका एक ही कारण है और वह है उनकी हिंसात्मक और तोड़-फोड़ की नीतियां। हिंसा का रास्ता छोड़ने के पूर्व उनके लिए यह तय करना काफ़ी कठिन हो सकता है कि अब वे कौन-सा रास्ता अपनायें। अगर वे अहिंसक मार्ग को अपनाते हैं तो किनके लिए, किनके बीच और किस नारे को लेकर राजनीति करेंगे? इसका कोई स्पष्ट मार्ग सामने दिखाई नहीं पड़ता। जहां तक जेलों में बंद नक्सलवादी नेताओं का सवाल है, क्या सरकार बड़ी मुश्किल से काबू में आये इन नेताओं को आसानी से छोड़ देगी? और एक समझौते के तहत सरकार इन्हें छोड़ भी देती है या इन्हें जमानत पर रिहा किया जाता है तो वे 'वर्ग संघर्ष' के किस मार्ग को अपनायेंगे? क्या वे किसानों-मजदूरों को राजसत्ता के खिलाफ़ संघर्ष करने के लिए संगठित करेंगे या संसदीय मार्ग पर चल पड़ेंगे जैसा कि विनोद मिश्र के नेतृत्व वाले नक्सली संगठन भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी (मार्क्सवादी-लेनिनवादी) ने किया था। उसका जो बुरा हश्र हुआ, वह सबके सामने है। विनोद मिश्रा सीपीआई और सीपीएम के साथ मिल कर वामपंथियों का महासंगठन बनाना चाहते थे, पर उसे सीपीआई और सीपीएम ने ठुकरा दिया था। अब यह पार्टी बिहार विधानसभा में पांच-छ: सीटें लेती है और इसके अलावा न कोई संघर्ष है, न आगे संघर्ष करने की कोई नीति।

शेष पेज 2 पर